

कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE-245361 FAX-240189 E_MAIL- ccf.sdi@mp.gov.in

क्रमांक/माचि/2019/283

शहडोल, दिनांक 11/01/2019

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल उत्तर शहडोल

विषय:- विकासखण्ड ब्यौहारी के अन्तर्गत हिरवार माईक्रो सिंचाई परियोजना का वन प्रकरण प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- वमंअ उत्तर शहडोल का पत्र क्र./मा.चि./1783 दि. 29.12.2018 एवं 28 दि. 02.01.2019.

- ☆☆☆ -

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से कार्यपालन यंत्री सिंचाई संभाग क्रमांक-2 शहडोल द्वारा पश्चिम ब्यौहारी के अन्तर्गत हिरवार माईक्रो परियोजना हेतु 1.423 हेक्टेयर वनक्षेत्र में निर्माण हेतु प्रस्ताव संदर्भित पत्र से आपके द्वारा दिनांक 28.12.2018 को स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रस्ताव ऑन लाईन एवं हार्डकॉपी में प्रस्तुत किया है। विवरण निम्नानुसार है:-

1. आवेदक द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि जमा की जा चुकी है।
2. प्रस्तावित परियोजना हेतु राजस्व वनभूमि नहीं प्रभावित होने का प्रमाण-पत्र तहसील ब्यौहारी द्वारा दिया गया है।
3. प्रस्तावित परियोजना कोई भी ऐतिहासिक स्थल चिन्ह आदि नहीं है।
4. प्रस्तावित वनक्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
5. आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में न्यूनतम वनभूमि का प्रमाण-पत्र दिया है।
6. आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि के भुगतान हेतु वचन-पत्र दिया है।
7. आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि भुगतान करने का वचन-पत्र दिया है।
8. प्रस्तावित परियोजना में 8 नग सागौन के वृक्ष 31 से 60 से.मी. गोलाई के हैं एवं शेष 261 नग (20 से.मी. गोलाई से कम) विभिन्न प्रकार के वृक्ष तथा 51 नग बांस मिर्चा झाड़ी झंखाड़ी के रूप में हैं।
9. म.प्र. शासन वन विभाग/नोडल अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेश निर्देश का पालन किया जावे।
10. शासन द्वारा क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को 31.12.2018 तक स्वीकृति जारी करने के अधिकार प्रदत्त थे। वर्तमान में शासन द्वारा पुनरुत्थापन आदेश प्राप्त होने पर स्वीकृत आदेश जारी किया जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में अनुमोदन/अनुमंसा की जाती है।

(~~डॉ. ए. के. जी. शर्मा~~)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (मध्यप्रदेश)

पृ.क्रमांक/माचि/2019/284

शहडोल, दिनांक 11/01/2019

प्रतिलिपि-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) म.प्र. भोपाल।
2. कार्य पालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(~~डॉ. ए. के. जी. शर्मा~~)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (मध्यप्रदेश)

भाग - III
संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

14	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन नहीं। संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	—

तिथि: 11 / 01 / 2019

स्थान: शहडोल (म.प्र.)


 (डॉ. ए. के. जोशी)
 मुख्य वन संरक्षक
 वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)